# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00262Jodhpur225RTA2018-123 Narayansingh etc Vs Nrisinghdan etc

01. नारायणसिंह पुत्र परबतसिंह
02. अमरसिंह पुत्र परबतसिंह
03. सतपालसिंह पुत्र परबतसिंह
04. श्रीमती सुगनकंवर पत्नी परबतसिंह सभी जातियान् चारण, निवासीगण- मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

..... अपीलाण्ड्स

**ब**

**ना**

**म**

1. नृसिंहदान पुत्र तेजदान
2. गोविंदसिंह पुत्र तेजदान
3. श्यामसिंह पुत्र तेजदान
4. श्रीमती लहरकंवर पत्नी तेजदान सभी जातियान् चारण, निवासीगण- मोगड़ा खुर्द, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

**मृतक स्व. भोमदान पुत्र श्री नैनदान के विधिक उत्तराधिकारीः -**

5. इन्द्रसिंह पुत्र स्व. भोमदान
6. श्रीमती मुन्नीकंवर पुत्री स्व. भोमदान पत्नी स्व. जबरसिंह
7. श्रीमती मंजुकंवर पुत्री स्व. भोमदान पत्नी स्व. राजुसिंह जातियान् चारण निवासीगण- मोगड़ा खुर्द तहसील लूणी जिला जोधपुर।
8. श्रीमती सारीकंवर पुत्री स्व. भोमदान पत्नी हरिसिंह जाति चारण, निवासी- गांव बागुण्डी तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जोधपुर

..... रेस्पो.

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**लूणी दिनांक 16 जुलाई 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 15/2018 नारायणसिंह व अन्य बनाम नृसिंहदान इत्यादि**

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री आवड़दान उज्ज्वल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 2
श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 से 8
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. 09

# नि र्ण य

**दिनांक : 11 अक्टूबर 2021**

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित राजस्व प्रकरण संख्या 15/2018 अनवान नारायणसिंह व अन्य बनाम नृसिंहदान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 16 जुलाई 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 24 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पो. को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विवादग्रस्त भूमि ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नं. 210 की बट्टा नंबर सहित मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थीगण/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.07.2018 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित कर पूर्व पारित स्थगन आदेश दिनांक 28.03.2018 को समाप्त कर दिया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ही भूमि खसरा नं. 210 की कोई तरमीम न होना मानते हुए तथा भूमि पर निर्माण करने से अप्रार्थी को रोका था, परन्तु उस आदेश को उन्हीं परिस्थितियों के रहते निरस्त कर दिया गया। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में यह माना है कि जमाबंदी व नक्शा के इन्द्राज मेल नहीं खाते एवं दोनो पक्षों के मध्य अधिक विवाद नहीं होना चाहिए तो इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि मौके की स्थिति को यथावत रखने हेतु आदेश दिये जाते है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विपरीत जाकर रेस्पोडेंट को निर्माण करने की छूट प्रदान कर दी जिससे निश्चय ही मौके की स्थिति को बदली गई। जहां वाद में सारवान तथ्यात्मक एवं कानूनी बिंदु विचाराधीन हो, जिनका निर्णय वाद की ट्रायल के द्वारा बाद शहादत ही किया जा सकता हो तो वाद की विषय वस्तु के संदर्भ में वाद प्रस्तुतीकरण के दिन की स्थिति को यथावत रखा जाना चाहिए ताकि नई पेचिदगीया पैदा न हो। अधीनस्थ न्यायालय ने इस सिद्धांत के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। वर्तमान मामले में स्पष्ट है कि पूर्व में हुआ विभाजन अपूर्ण था एवं मौके पर विभाजन नहीं किया गया, जिसका प्रमाण राजस्व नक्शा है, जिसमें कोई तरमीम खसरा नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

210 की भूमि के संदर्भ में नहीं हुई है तो निश्चय ही यह सीमा संबंधी विवाद है एवं ऐसे विवाद में किसी भी पक्ष को निर्माण कार्य अथवा अन्य किसी कार्यवाही के जरिये मौके के हालात को बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, बल्कि निषेधाज्ञा के जरिये स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया जाना चाहिए था। विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है एवं इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने का किसी को अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने का लाईसेंस रेस्पोडेंट को दिया है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावें, अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर माफिक दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण जारी की जावें।

योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 210 का मौके पर बंटवाड़ा होकर बट्टा नंबर में विभाजित हो चुका है। वर्तमान में खसरा जमाबंदी में खसरा नं. 210 बट्टा नंबरों 210, 210/1 से लेकर 210/5 में विभाजित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेख के आधार पर उभय पक्ष को सुनकर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स के द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमाया जावें।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वादीगण द्वारा विवादग्रस्त आराजी के मूल रूप में तरमीम नहीं होने का कथन करते हुए दावा लगाया गया और अपील भी इसी आधार पर प्रस्तुत की है कि पक्षकारों की तरमीम नही की हुई है, इसलिए विवादग्रस्त आराजी को दावे निस्तारण तक संरक्षित किया जावें। **चूंकि तहसील लूणी DILRMP योजना के तहत ऑनलाईन होकर सभी खसरान् की तरमीमे हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख के मुताबिक खसरा नं. 210 भी बद्टा नंबरान् में विभाजित होकर तरमीम हो चुकी है।** तरमीम मौके एवं कब्जे के अनुरूप है तो वाद का शमन हो जाता है अन्यथा **तरमीम दुरुस्ती का दावा लाने हेतु अपीलांट वादी स्वतंत्र है।** अपीलाधीन आदेश उभय पक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत उपलब्ध राजस्व अभिलेख के आधार पर पारित किया जाना पाया जाता है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को हस्तगत प्रकरण मे निर्णय प्रति प्राप्ति के दो माह की अवधि में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर